# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 2115/2012/चित्तौडगढ.

2. अपील संख्या – 2116/2012/चित्तौडगढ.

3. अपील संख्या – 2117/2012/चित्तौडगढ.

4. अपील संख्या – 2118/2012/चित्तौडगढ.

मैसर्स भारत बोरवेल्स,निम्बाहेडा

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट–प्रथम,निम्बाहेडा .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

**उपस्थित : :**

श्री वी.सी.सोगानी,अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.एस.राठौड़,

उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 10/06/2014**

## निर्णय

ये चारों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपायुक्त (अपील्स) , वाणिज्यिक कर,उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 81 सेक 84/वैट/11-12 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 10.07.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत पेश की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त संयुक्तादेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट प्रथम,निम्बाहेडा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा आरोपित कर को यथावत रखा गया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदार है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ड्रिलिंग एवं बोरिंग का काम किया है, जो सिविल वर्क की श्रेणी में आता है, जिस पर ई.सी. फीस 1.5 प्रतिशत की दर से देय है,क किन्तु कर

निर्धारण अधिकारी ने कर मुक्ति शुल्क 3 प्रतिशत से आरोपित करते हुए निम्न तालिका के अनुसार कर का आरोपण किया है :–

| अपील संख्या | कर | ब्याज | शास्ति | योग |
|---|---|---|---|---|
| 2115/12 | 40187/– | – | – | 40187/– |
| 2116/12 | 40187/– | – | – | 40187/– |
| 2117/12 | 40187/– | – | – | 40187/– |
| 2118/12 | 40187/– | – | – | 40187/– |

उक्त आरोपित कर के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 3 प्रतिशत से ई सी शुल्क सही मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार कर की हैं। अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2012 के विरूद्ध ये चारों अपीलें प्रस्तुत की हैं।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी को आवंटित ठेका कार्य के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी से मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र चाहने हेतु आवेदन किया गया था, जिस पर पूर्ण विचार करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी ने 3 प्रतिशत से ई सी प्रमाण पत्र जारी किये गये थे जबकि उसका द्वारा किया गया कार्यों पर 1.5 प्रतिशत कर मुक्ति शुल्क देय है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने 3 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति शुल्क आरोपित किया है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने बिना जांच किये ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर को यथावत रखते हुए स्पीकिंग आदेश नहीं पारित किया गया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता द्वारा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपीलेकं अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के द्वारा विवादित अपीलों के सम्बन्ध में निम्न आदेश पारित किया गया है :–

"मैने विभागीय प्रतिनिधि एवं अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत की बहस, विभागीय पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन एंव परीक्षा किया । मेरे द्वारा कर निर्धारण पत्रावली में उपलब्ध डब्ल्यू टी–03 का अवलोकन किया गया। जिसमें सभी में रिचार्ज पीट का निर्माण कार्य किया जाना अंकित है। जो कि राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–79 दिनांक 11..08.2006 के अनुसार रिचार्ज पीट का निर्माण कार्य ब्रिज, बिल्डिंग, रोड, केनाल व सिवरेज से सम्बन्धित नहीं है।"

अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से स्पष्ट है कि उन्होंने प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत विवेचन किये बिना आदेश पारित किया है,जिसे विधिक नहीं कहा जा सकता है। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन संयुक्तादेश दिनांक 10.07.2012 को अपास्त कर विवादित अपीलें कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रकरणों के तथ्यों मुख्यतः कि रिचार्ज पिट का कार्य किस प्रकार ब्रिज,बिल्डिंग, रोड,कैनाल,सीवरेज से सम्बन्धित नहीं है, और यदि नहीं हो किस प्रकार यह 3 प्रतिशत की श्रेणी से अधिसूचित होता है, अपनी विस्तृत विवेचना इस निर्णय की प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर देवें।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य